न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—182/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88,53 आरटीए

1. गगनदीप सिह पुत्र श्री तरसेम सिह
2. रमनदीप सिह
3. जगमीत सिह

जाति जटसिख निवासीगण बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1 तरसेम सिह पुत्र काकासिह
2 अमनदीप कौर पुत्री तरसेम सिह
3 निर्मलसिह पुत्र काकासिह
4 मनजीत कौर पत्नी काकासिह

जाति जटसिख निवासीगण बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5 शाखा प्रबंधक ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स धोलीपाल।
6 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1— श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग — वकील वादीगण
2— श्री बन्टूस बिश्नोई — वकील प्रति सं. 1 ता 4

निर्णय दिनांक :— 20.09.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है। वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1,3,4 के नाम से चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 33/31 खाता तरसेम सिह आदि व इसी चक के खाता संख्या 72/10 खाता मंजीत कौर आदि तथा इसी चक के खाता संख्या 86/65 खाता श्योकरण आदि जमाबन्दी सम्वत 2068—2071 तथा चक 25/1 एएमपी के खाता संख्या 40/35 खाता तरसेम सिह आदि जमाबन्दी सम्वत 2069—2071 तथा चक 30 एएमपी के खाता संख्या 32/26 खाता तरसेम सिह आदि जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 में विरास्तन कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिया जमाबन्दीया संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 मं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की विरास्तन कृषि भूमि है जिसमें वादी संख्या 1 व 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म से ही बहिब का हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने विरास्तन हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे बहिब कर दिया है। अब प्रतिवादी संख्या 2 का वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज कृषिभूमि मे से वादी सख्या 2 व 3, 2/3 हिस्सा के बहिब के खातेदार काश्तकार है किन्तु राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि में वादीगण केनाम दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः वादीगण उपरोक्तानुसार घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषिभूमि का आपस में घरू विभाजन कर रखा है। वादीगण घरू विभाजन के अनुसार अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे और मौका पर कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं हैं। किन्तु सांझा खाता होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं इसलिए वादीगण अपना खाता संयुक्त नहीं रखना चाहते है और निम्नानुसार अपना खाता अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादी संख्या 1 गगनदीप सिह पुत्र तरसेम सिह का हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि का विवरण चक 25/1 एएमपी खाता

संख्या 40/35 पं.नं. 100/75 मु.नं. 45 किला नं. 1/1/0.114, 9,12,19/0.253 है. प्र. गैर.मु. 0.013 = 0.886 है. पं.नं. 99/176 मु.नं. 55 किला नं. 14/0.253है. = 0.253 है. पं.नं. 100/176 मु.नं. 56 किला नं. 4/0.253 है. किला नं. 5,6/0.228 है. प्र. 7/0.253 किला नं. 8/1/0.160 गै.मु. 0.050 = 1.172 है. प.न. 101/176 मु.नं. 57 किला नं. 1,10,11,20, 21/0.253 है. प्र. = 1.265 है. कुल 3.576 वादी संख्या 2 व 3 रमनदीप सिह, जगमीत सिह पि. निर्मलसिह का बहिब हक व हिस्सा चक 21 एमजेडी खाता संख्या 33/31 व 72/10 पं.नं. 92/180 मु.नं. 16 किला नं. 4/0.228, 7//0.253, 13/1/0.069 14,17/0.253 है.प्रे. 18/1/0.139, 23/1/0.139, 24/0.126 = 1.460 हैक्टर पं.नं. 91/183 मु.नं. 56 किला नं. 6/1/0.189 किला नं. 7,8/0.253 है.प्र. गैर मु. 0.047 = 0.742 है. कुल 2.202 हैक्टर खाता संख्या 72/10 पं.नं. 95/180 मु.नं. 19 किला नं. 18/2/0.228 है. किला नं. 19,22/0.253 है.प्र. 23/0.252 है. 24/0.126 है. 25/0.114 गै.मु. 013 = 1.239 है. पं.नं. 95/181 मु.नं. 30 किला नं. 2/2/0.126 है. किला नं. 7,8,9,12,13,14,17,18,19,22,23,24/0.253 है.प्र. 15/0.228 है. किला नं. 16,25/0.227 है.प्र. कुल = 5.160 है.

नोटः– चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 86/65 खाता श्योकरण आदि ज.स. 2068–71 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम से दर्ज कृषि भूमि वादी संख्या 2 व 3 को बहिब प्राप्त हुई है जो कि वादी संख्या 2 व 3 के नाम होकर सांझा खाता में रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिह पुत्र काका सिह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 21 एमजेडी खाता संख्या 33/31 पं.नं. 91/183 मु.नं. 56 किला नं. 6/2/0.038 किला नं. 13,14/0.253 है. प्र. किला नं. 15/0.152 गै.मु. 0.016 = 0.712 है. चक 21 एमजेडी खाता संख्या 72/10 पं.नं. 95/180 मु.नं. 19 किला नं. 17/1/0.126 है. किला नं. 18/1/0.025 है. 24/1/0.127 किला नं. 25/1/0.114 गै.मु. 0.012 = 0.404 है. चक 30 एएमपी खाता संख्या 32/26 पं.नं. 88/172 मु.नं. 36 किला नं. 24,25/0.253 है. प्रे. पं.नं. 89/172 मु.नं. 37 किला नं. 23/2/0.171 है. पं.नं. 88/173 मु.नं. 41 किला नं. 4,7 से 15, 17 से 21/0.253 है. प्रे. किला नं. 16,22/0.215 है.प्र. किला नं. 23/0.126 है. किला नं. 24/0.038 है. किला नं. 5,6/0.228 है. प्र. गै.मु./0.050 = 5.572 है. मय गै.मु. प्रतिवादी निर्मल सिह 3 का हक व हिस्सा में आई भूमि चक नं. 25/1 एएमपी खाता संख्या 40/35 पं.नं. 99/176 मु.नं. 55 किला नं. 15,16,25/0.253 है.प्र. = 0.759 है. पं.नं. 100/176 मु.नं. 56 किला नं. 8/2/0.093 किला नं. 9,11 से 14,20/0.253 है.प्र. 15/0.228 है. किला नं. 21/0.090 गै.मु. 0.025 = 1.954 है. कुल 2.713 है. प्रतिवादी संख्या 4 मंजीत कौर पत्नी काका सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 72/10 पं.नं. 95/181 मु.नं. 30 किला नं. 2/1/0.127 किला नं. 3,4/0.253 है. प्र. 5/0.228 है. 6/0.227 है. गै.मु. 0.051 है. = 1.139 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,3,4 उपरोक्तानुसार अपने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। और मौका पर कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादीगण को वाद पत्र की चरण सख्या 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान वादीगण का खाता अलग से कायम करवा देवे तो प्रतिवादी पहले तो आज कल आजकल कह कर वादीगण को टाल मटोल करते रहे किन्तु अब वादीगण के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट् इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 5 बाद तलबी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी की ओर से साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2 रमनदीप सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार प्रदर्श करवाये :–

1. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 33/31 खाता तरसेम सिह वगेरा प्रदर्श–1
2. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 72/10 खाता मनजीतकौर वगेरा प्रदर्श–2
3. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 86/95 खाता श्योकरण वगेरा प्रदर्श–3
4. चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 40/35 खाता तरसेमसिह वगेरा प्रदर्श–4
5. चक 30 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 32/26 खाता तरसेम सिह वगेरा प्रदर्श–5
6. मंजीत कोर पत्नी काका सिह व तरसेम सिह पुत्र काकासिह एवं निर्मल सिह पुत्र काकासिह के वारिसान तस्दीक प्रमाण पत्र उप सरपंच ग्राम पंचायत सिहपुरा पंचायत समिति संगरिया–प्रदर्श–6
7. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 63/56 खाता हरनेक सिह वगेरा प्रदर्श–7
8. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 31/68 खाता निकासिह वगेरा प्रदर्श–8
9. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 42/37 खाता भानसिह वगेरा प्रदर्श–9
10. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 18/19 खाता गुरदयालसिह वगेरा प्रदर्श–10
11. चक 30 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 खाता संख्या 18/15 खाता दलवीर सिह वगेरा प्रदर्श–11
12. चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 47/46 खाता भूरसिह वगेरा प्रदर्श–12
13. चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 60/59 खाता राजाराम वगेरा प्रदर्श– 13

वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ पैतृक सम्पति साक्ष्य में जमाबन्दी चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 63/56 खाता हरनेक सिह वगेरा प्रदर्श–7, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 31/68 खाता निकासिह वगेरा प्रदर्श–8, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 42/37 खाता भानसिह वगेरा प्रदर्श–9, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 18/19 खाता गुरदयालसिह वगेरा प्रदर्श–10, चक 30 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 खाता संख्या 18/15 खाता दलवीर सिह वगेरा प्रदर्श–11, चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 47/46 खाता भूरसिह वगेरा प्रदर्श–12, चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 60/59 खाता राजाराम वगेरा प्रदर्श– 13 की प्रति पेश गई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1,3,4 के नाम से चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 33/31 खाता तरसेम सिह आदि व इसी चक के खाता संख्या 72/10 खाता मंजीत कौर आदि तथा इसी चक के खाता संख्या 86/65 खाता श्योकरण आदि जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 तथा चक 25/1 एएमपी के खाता संख्या 40/35 खाता तरसेम सिह आदि जमाबन्दी सम्वत 2069–2071 तथा चक 30 एएमपी के खाता संख्या 32/26 खाता तरसेम सिह आदि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 63/56 खाता हरनेक सिह वगेरा प्रदर्श–7, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 31/68 खाता निकासिह वगेरा प्रदर्श–8, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 42/37 खाता भानसिह वगेरा प्रदर्श–9, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 18/19 खाता गुरदयालसिह वगेरा प्रदर्श–10, चक 30 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 खाता संख्या 18/15 खाता दलवीर सिह वगेरा प्रदर्श–11, चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 47/46 खाता भूरसिह वगेरा प्रदर्श–12, चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 60/59 खाता राजाराम वगेरा प्रदर्श– 13 प्रमाणित चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1,3,4 के वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1,3,4 के नाम से चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 33/31 खाता तरसेम सिह आदि व इसी चक के खाता संख्या 72/10 खाता मंजीत कौर आदि तथा इसी चक के खाता संख्या 86/65 खाता श्योकरण आदि जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 तथा चक 25/1 एएमपी के खाता संख्या 40/35 खाता तरसेम सिह आदि जमाबन्दी सम्वत 2069–2071 तथा चक 30 एएमपी के खाता संख्या 32/26 खाता तरसेम सिह आदि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 63/56 खाता हरनेक सिह वगेरा प्रदर्श–7, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 31/68

खाता निकासिह वगेरा प्रदर्श–8, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 42/37 खाता भानसिह वगेरा प्रदर्श–9, चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 खाता संख्या 18/19 खाता गुरदयालसिह वगेरा प्रदर्श–10, चक 30 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 खाता संख्या 18/15 खाता दलवीर सिह वगेरा प्रदर्श–11, चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 47/46 खाता भूरसिह वगेरा प्रदर्श–12, चक 25/1 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 60/59 खाता राजाराम वगेरा प्रदर्श– 13 करवाई गई जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 33/31 में वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम से 2.202 है. कृषि भूमि दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावे तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का कम किया जावे। चक 21 एमजेडी खाता संख्या 72/10 में दर्ज कर दर्ज कर कुल कृषि भूमि मे से 5.160 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की जावे इस खाता से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का कम किया जावें। इसीप्रकार चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 86/65 जमाबन्दी सम्वत 2068–71 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम दर्ज 0.247 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की जावें। चक 25/1 एएमपी की कुल 6.289 है. कृषि भूमि मे से वादी संख्या 1 के नाम 3.576 है. कृषि भूमि दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करते हुए शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का कम किया जावे। तथा चक 30 एएमपी के खाता संख्या 32/26 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर उसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जाकर दावा की चरण संख्या 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं दावा की चरण संख्या 5 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 182/2019

1. गगनदीप सिह पुत्र श्री तरसेम सिह
2. रमनदीप सिह
3. जगमीत सिह

जाति जटसिख निवासीगण बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
वादीगण

बनाम

1 तरसेम सिह पुत्र काकासिह
2 अमनदीप कौर पुत्री तरसेम सिह
3 निर्मलसिह पुत्र काकासिह
4 मनजीत कौर पत्नी काकासिह

जाति जटसिख निवासीगण बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5 शाखा प्रबंधक ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स धोलीपाल।
6 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री बन्टूस बिश्नोई वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 33/31 में वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम से 2.202 है. कृषि भूमि दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावे तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का कम किया जावे। चक 21 एमजेडी खाता संख्या 72/10 में दर्ज कर कुल कृषि भूमि मे से 5.160 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की जावे इस खाता से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का कम किया जावें। इसी प्रकार चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 86/65 जमाबन्दी सम्वत 2068–71 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम दर्ज 0.247 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की जावें। चक 25/1 एएमपी की कुल 6.289 है. कृषि भूमि मे से वादी संख्या 1 के नाम 3. 576 है. कृषि भूमि दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करते हुए शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का कम किया जावे। तथा चक 30 एएमपी के खाता संख्या 32/26 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर उसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावेः–

वादी संख्या 1 गगनदीप सिह पुत्र तरसेम सिह का हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि का विवरण चक 25/1 एएमपी खाता संख्या 40/35 पं.नं. 100/175 मु.नं. 45 किला नं. 1/1/0.114, 9,12,19/0.253 है. प्र. गैर.मु. 0.013 = 0.886 है. पं.नं. 99/176 मु.नं. 55 किला नं. 14/0.253 है. = 0.253 है. पं.नं. 100/176 मु.नं. 56 किला नं. 4/0.253 है. किला नं. 5,6/0.228 है. प्र. 7/0. 253 किला नं. 8/1/0.160 गै.मु. 0.050 = 1.172 है. प.न. 101/176 मु.नं. 57 किला नं. 1,10,11,20, 21/0.253 है. प्र. = 1.265 है. कुल 3.576

वादी संख्या 2 व 3 रमनदीप सिह, जगमीत सिह पि. निर्मलसिह का बहिब हक व हिस्सा चक 21 एमजेडी खाता संख्या 33/31 पं.नं. 92/180 मु.नं. 16 किला नं. 4/0.228, 7/ /0.253, 13/1/0.069 14,17/0.253 है.प्रे. 18/1/0.139, 23/1/0.139, 24/0.126 = 1.460 हैक्टर पं.

नं. 91/183 मु.नं. 56 किला नं. 6/1/0.189 किला नं. 7,8/0.253 है.प्र. गैर मु. 0.047 = 0.742 है. कुल 2.202 हैक्टर व खाता संख्या 72/10 पं.नं. 95/180 मु.नं. 19 किला नं. 18/2/0.228 है. किला नं. 19,22/0.253 है.प्र. 23/0.252 है. 24/0.126 है. 25/0.114 गै.मु. 0.013 = 1.239 है. पं.नं. 95/181 मु.नं. 30 किला नं. 2/2/0.126 है. किला नं. 7,8,9,12,13,14,17,18,19,22,23,24 /0.253 है.प्र. 15/0.228 है. किला नं. 16,25/0.227 है.प्र. गै.मु. 0.077 है. कुल = 5.160 है.

नोटः— चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 86/65 खाता श्योकरण आदि ज.स. 2068—71 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम से दर्ज कृषि भूमि वादी संख्या 2 व 3 को बहिब प्राप्त हुई है जो कि वादी संख्या 2 व 3 के नाम होकर सांझा खाता में रहेगीः—

प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिह पुत्र काका सिह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 21 एमजेडी खाता संख्या 33/31 पं.नं. 91/183 मु.नं. 56 किला नं. 6/2/0.038 किला नं. 13,14/0.253 है. प्र. किला नं. 15/0.152 गै.मु. 0.016 = 0.712 है. चक 21 एमजेडी खाता संख्या 72/10 पं.नं. 95/180 मु.नं. 19 किला नं. 17/1/0.126 है. किला नं. 18/1/0.025 है. 24/1/0.127 किला नं. 25/1/0.114 गै.मु. 0.012 = 0.404 है. चक 30 एएमपी खाता संख्या 32/26 पं.नं. 88/172 मु.नं. 36 किला नं. 24,25/0.253 है. प्रे. पं.नं. 89/172 मु.नं. 37 किला नं. 23/2/0.171 है. पं.नं. 88/173 मु.नं. 41 किला नं. 4,7 से 15, 17 से 21/0.253 है. प्रे. किला नं. 16,22/0.215 है.प्र. किला नं. 23/0.126 है. किला नं. 24/0.038 है. किला नं. 5,6/0.228 है. प्र. गै.मु./0.050 = 5.572 है. मय गै.मु.

प्रतिवादी संख्या 3 निर्मल सिह का हक व हिस्सा में आई भूमि चक नं. 25/1 एएमपी खाता संख्या 40/35 पं.नं. 99/176 मु.नं. 55 किला नं. 15,16,25/0.253 है.प्र. = 0.759 है. पं.नं. 100/176 मु.नं. 56 किला नं. 8/2/0.093 किला नं. 9,11 से 14,20/0.253 है.प्र. 15/0.228 है. किला नं. 21/0.090 गै.मु. 0.025 = 1.954 है. कुल 2.713 है.

प्रतिवादी संख्या 4 मंजीत कौर पत्नी काका सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 21 एमजेडी के खाता संख्या 72/10 पं.नं. 95/181 मु.नं. 30 किला नं. 2/1/0.127 किला नं. 3,4/0.253 है. प्र. 5/0.228 है. 6/0.227 है. गै.मु. 0.051 है. = 1.139 हैक्टर

नोटः— उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.09.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: